पत्रांक–1 / ब0 1–16 / 2026– 83 / 15/07/2026

बिहार सरकार

कला एवं संस्कृति विभाग

प्रेषक,

महमूद आलम,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संग्रहालयाध्यक्ष, चन्द्रधारी संग्रहालय, दरभंगा।

सहायक संग्रहालयाध्यक्ष,

जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय, पटना / महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय, दरभंगा / बेतिया संग्रहालय, बेतिया (प्रभारी गाँधी स्मारक संग्रहालय, भितिहरवा प0 च0) / बेगूसराय संग्रहालय, बेगूसराय / सीताराम उपाध्याय संग्रहालय, बक्सर (प्रभारी बाबू वीर कुँवर सिंह संग्रहालय, जगदीशपुर) / मिथिला ललित संग्रहालय, सौराठ, मधुबनी / दीप नारायण सिंह संग्रहालय, हाजीपुर / छपरा संग्रहालय, छपरा / बिहारशरीफ संग्रहालय, बिहारशरीफ / नारद संग्रहालय, नवादा / लखीसराय संग्रहालय, लखीसराय / रामचन्द्र शाही संग्रहालय, मुजफ्फरपुर / चन्द्रशेखर सिंह संग्रहालय, जमुई / भागलपुर संग्रहालय, भागलपुर / गया संग्रहालय, गया जी।

पटना दिनांक................/ 2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम मद में निधि का आवंटन।

महाशय,

स्वीकृत्यादेश संख्या 233 दिनांक 13.07.2026 के आलोक में राजकीय संग्रहालयों के संचालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–08 के अधीन बजट शीर्ष '2205–कला एवं संस्कृति–107–संग्रहालय–0101–संग्रहालय', विपत्र कोड 08–2205001070101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष 1301–कार्यालय व्यय में संलग्न विवरणी के अनुसार तत्काल कुल राशि ₹ 22,36,796 / –(बाईस लाख छत्तीस हजार सात सौ छियानबे रूपये) मात्र का आवंटन आपके निस्ताराधीन व्यय के लिए सौंपा जाता है।

2 यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 / वि0 (2) दिनांक 17.04.98 एवं 236 / वि0, दि0 09.03.2026 एवं 314 / वि0 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित अधिसीमा 33 प्रतिशत के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

3 राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से की जायेगी तथा राशि का व्यय बिहार वित्तीय संशोधन नियमावली 2024, बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार खरीद अधिमानता नीति के संगत प्रावधान के आलोक में की जायेगी।

4 वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–12888 दि0 03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है।

5 राशि की निकासी जाँचोपरांत वास्तविक उपस्थिति के आधार पर की जायेगी और इसमें किसी प्रकार की गलत निकासी के लिए संग्रहालयाध्यक्ष / सहायक संग्रहालयाध्यक्ष जिम्मेवार होंगे। राशि का भुगतान नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर रखे गये माली / स्वीपर के बैंक खाता के माध्यम से की जायेगी।

6 प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

7 उक्त आवंटन की व्यय विवरणी शीघ्र भेजे।

विश्वासभाजन,

15/07/26

(महमूद आलम)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक.......83....... /

पटना, दिनांक 15/07 / 2026

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दरभंगा / बेतिया / बेगूसराय / बक्सर / आरा, (भोजपुर) / मधुबनी / हाजीपुर / सारण / बिहारशरीफ / नवादा / लखीसराय / मुजफ्फरपुर / जमुई / भागलपुर / गया / सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/07/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक.......83....... /

पटना, दिनांक 15/07 / 2026

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, संग्रहालय निदेशालय / मेकर बजट शाखा / आई0 टी0 मैनेजर, कला एवं संस्कृति विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/07/26

सरकार के संयुक्त सचिव।

कृ0पृ0उ0